प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्य
राजकीय / सवित्त / वित्तविहीन मान्यता प्राप्त
माध्यमिक विद्यालय, इलाहाबाद

पत्रांक संख्या / 8379-83 /2017–18 दिनांक :– 1-9-2017

विषयः पैडमिक(Pendemic) स्वाइन फ्लू से रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक / शिविर / 12221–12338 / 2017–18 दिनांक 29 अगस्त 2017 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा अनुभाग–5 के पत्र संख्या–1349 / पांच–5–2017 दिनांक 09.08.2017 संलग्न करते हुए पैडमिक (Pendemic) स्वाइन फ्लू से रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि "सभी स्कूलों में होने वाली प्रार्थना सभाओं में फिलहाल रोक लगायी जाय और अधिक संख्या में बच्चों को एक स्थान पर एकत्रित न होने देने का प्रयास किया जाय। कक्षाएँ शुरू होने से पहले सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों का परीक्षण किया जाय, यदि उनमें स्वाइन फ्लू के कोई भी लक्षण दिखे तो उन्हें तत्काल 07 दिन आराम करने की सलाह देकर घर वापस कर दिया जाय, साथ ही अभिभावकों को यह निर्देश दिया जाय कि वे अपने बच्चों की देखभाल घर पर ही करें, स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावको को बच्चों के चिकित्सा प्रमाणपत्र देने हेतु बाध्य न किया जाय।"

अतः उक्त के सदंर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

1.9.17

(आर0 एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

पृ0सं0 / 8379-83 /2017–18 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0,इलाहाबाद।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद।

1.9.17

(आर0 एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद